बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0सं0–नि0को0/जहानाबाद (मुक0) 11–05/2016–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–...

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–1483/अप०शा०, दिनांक 02.12.2008 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 28.11.2008 को गठित धावा दल द्वारा परिवादी श्री रामानुज शर्मा से 1000/– (एक हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए श्री संतु कुमार राम, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, रतनी फरीदपर, जहानाबाद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसके फलस्वरूप उनके विरुद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या–103/2008 दर्ज कर प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया।

2. निगरानी विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत श्री राम को विभागीय आदेश ज्ञापांक–880 नि०को०, दिनांक– 22.12.2008 से निलम्बित किया गया तथा मुख्यालय– प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया निर्धारित किया गया। पुलिस अधीक्षक के अनुरोध पर विभागीय आदेश ज्ञापांक–01 नि0को०, दिनांक– 02.01.2009 द्वारा अभियोजन स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया।

3. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक–884/ राजस्व, दिनांक 11.06.2008 द्वारा श्री राम का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, जिसमें न्यायिक हिरासत से जमानत पर रिहा होने के बाद निलंबन मुक्त करने का संबंधी अनुरोध के समीक्षोपरांत कार्यालय आदेश संख्या–93 नि०को०, दिनांक 10.02.2010 द्वारा उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया।

4. आयुक्त के सचिव, मगध प्रमंडल के पत्रांक–197/रा०, दिनांक 18.01.2010 द्वारा श्री राम के विरुद्ध गठित आरोप पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया। इसके बाद विभागीय पत्रांक–163 (नि0को०), दिनांक 08.03.2010 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई।

5. अपर समाहर्ता, गया के पत्रांक–260/मु०, दिनांक 23.06.2010 द्वारा सूचित किया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण न देकर 51 कागजातों की मांग की गई। निगरानी ब्यूरो द्वारा कागजात देने में असमर्थता व्यक्त करने पर, विभागीय पत्रांक–629 नि०को०, दिनांक 03.07.2013 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया गया।

श्री राम द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने के कारण, विभागीय आदेश ज्ञापांक–59 नि०को०, दिनांक 14.02.2014 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया जिसके तहत अपर समाहर्ता, जहानाबाद को संचालन पदाधिकारी तथा समाहर्त्ता, जहानाबाद स्तर से प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

6. आपराधिक मामला लंबित रहने और विभागीय कार्यवाही संचालित होने के परिप्रेक्ष्य में, लोकहित में बिहार सरकारी सेवक नियमावली, 2005 के तहत आरोपी पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से पुनः निलम्बित किया गया।

उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, जहानाबाद के पत्रांक–178 दिनांक–25.09.2014 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

7. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा अभ्यावेदन की समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं० –173/नि0को०, दिनांक 21.02.2015 द्वारा श्री संतु कुमार राम को सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किया गया।

8. श्री राम द्वारा उक्त विभागीय आदेश को निरस्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी०डब्लू० जे०सी० नं0–18069/2015 संतु कुमार राम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–31.01.2018 को पारित न्यायादेश में विभागीय आदेश सं0–173 (नि०को०) दिनांक–21.02.2015 एवं अपीलीय आदेश दिनांक–28.08.2015 को निरस्त करते हुए निम्नवत् आदेश दिया गया है :–

"The instant case is a case of no evidence and gross violation of entire procedure prescribed under Rule 17 (14) of the Bihar CCA Rules-

In view of the aforesaid findings, order dated 21-02-2015 passed by the Principal Secretary, Department of Revenue and Land Reforms, Goverment of Bihar, Patna as well as the appellate order dated 28-08-2015 passed in Service Appeal No 1 of 2015-16 are hereby quashed- The petitioner would be entitled to his reinstatement with all consequential benefits- However, it would be open to the authorities to proceed against the petitioner in accordance with law-"

उक्त न्यायादेश के आलोक में अपील दायर करने के बिन्दु पर विधि विभाग से प्राप्त असहमति/परामर्श के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के मंतव्य के आलोक में विभागीय आदेश सं0–173 (नि०को०) दिनांक–21.02.2015 एवं अपीलीय आदेश दिनांक–28.08.2015 को निरस्त किया गया। साथ ही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 (5) के प्रावधानों के तहत बर्खास्तगी की तिथि–21.02.2015 से इस आदेश के निर्गत होने की तिथि तक निलम्बित किया हुआ समझा गया।

9. उक्त आलोक में श्री संतु कुमार राम, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, रतनीफरीदपुर, जहानाबाद संप्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध 1,000/– रूपये रिश्वत लेते निगरानी धावा दल द्वारा गिरफ्तार किए जाने के फलस्वरूप विभाग स्तर पर आरोप–पत्र गठित कर श्री राम को विभागीय संकल्प सं0–623, दिनांक–06.08.2019 द्वारा निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर निर्धारित किया गया।

10. आरोप पत्र में गठित आरोपों के संदर्भ में श्री राम का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं0–1069 (15), दिनांक–26.08.2020 के द्वारा श्री राम के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई जिसमें अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए समाहर्ता, जहानाबाद को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करने का निदेश दिया गया।

11. श्री राम के दिनांक–31.01.2022 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी० के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

उक्त संचालन विभागीय कार्यवाही में तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, मुंगेर–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1136, दिनांक–31.05.2023 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में श्री राम के विरूद्ध 1000/– रूपए मात्र रिश्वत लेने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

12. संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन में आरोपी पदाधिकारी द्वारा संचालन पदाधिकारी द्वारा गवाहों के बयान एवं प्रतिपरीक्षण नहीं होने तथा पेंशन नियमावली काल–बाधित के आलोक में चलायी जा रही विभागीय कार्यवाही को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

13. जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्रों /संकल्पों के आलोक में उक्त जाँच अपर विभागीय जाँच आयुक्त के स्तर से की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई। आरोपी पदाधिकारी के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण– पृच्छा अभ्यावेदन में मूल रूप से साक्ष्यों के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण नहीं किए जाने का उल्लेख भी सही पाया गया। फलस्वरूप विभागीय पत्रांक–924(15), दिनांक–16.05.2024 के द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी को आरोप पत्र में अंकित साक्ष्यों एवं साक्षियों के आधार पर सुनवाई करते हुए परीक्षण/प्रतिपरीक्षण के पश्चात् जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

14. अपर समाहर्त्ता, मुंगेर–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1659, दिनांक–19.06.2025 द्वारा श्री संतु कुमार राम, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, जहानाबाद सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक–31.03.2022) के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में साक्ष्य/साक्षियों के साथ परीक्षण/प्रति–परीक्षण के लिए संबंधितों को सुनवाई के लिए दो से तीन बार नोटिस निर्गत किया गया परंतु निर्धारित सुनवाई की तिथि को उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, जहानाबाद, आरोपी पदाधिकारी श्री संतु कुमार राम एवं निगरानी के कर्मी उपस्थित नहीं हुए। निबंधित डाक से भेजे गए नोटिस को संबंधित विभाग द्वारा यह कहकर वापस कर दिया गया कि निगरानी के कर्मी सेवानिवृत हो चुके है तथा श्री राम, सेवानिवृत होकर बोकारो (झारखण्ड) में रह रहे है। उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री संतु कुमार राम, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, जहानाबाद सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही सं० 04/202021 के संदर्भ में मार्गदर्शन हेतु अनुरोध किया गया।

15. उक्त आलोक में संदर्भित आरोप प्रकरण ट्रैप केस से संबंधित होने के कारण परिवादी रामानुज शर्मा, आरोपी पदाधिकारी को पुनः सुनवाई की तिथि निर्धारित कर पत्र एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित करते हुए तथा निर्धारित तिथि को संबंधित कर्मी को उपस्थित रहने हेतु निगरानी विभाग से इस संबंध में पत्राचार कर परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण करने के पश्चात् तत्संबंधी जॉच प्रतिवेदन/अधिगम उपलब्ध कराने का मार्गदर्शन दिया गया।

16. उक्त आलोक में संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, मुंगेर के पत्रांक–931, दिनांक–20.03.2026 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि विभागीय मार्गदर्शन के आलोक में पुनः उक्त वाद की सुनवाई की तिथि 11.03.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे निर्धारित की गयी। साथ ही विभागीय निदेश के आलोक में आरोपी एवं अन्य संबंधित को सूचना देने हेतु कार्यालय पत्रांक 752, 753, 754/10, दिनांक–09.03.2026 से निर्देशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को अल्पकालीन सूचना को तीन हिन्दी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिये पत्र दिया गया। दिनांक–10.03.2026 को दैनिक भास्कर अखबार, प्रभात खबर अखवार एवं दैनिक जागरण अखबार में आरोपी एवं अन्य संबंधित का नोटिस प्रकाशित हुआ तदोपरांत विभागीय कार्यवाही की सुनवाई 18.03. 2026 को रखी गई। उक्त निर्धारित तिथि को आरोपी एवं अन्य सभी संबंधित अनुपस्थित रहें।

अतएव उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में एवं वर्णित तथ्यों के आलोक में तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, मुंगेर–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा कार्यालय पत्रांक–1136/10 दिनांक–31.05.2023 से सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय कार्यवाही वाद सं0–04/2020–21 में श्री संतु कुमार राम, तत्कालीन अंचल अधिकारी, रतनी फरीदपुर जहानाबाद के विरूद्ध 1000/– रूपये रिश्वत लेने का आरोप प्रमाणित किया गया है।

17. उक्त वाद की सुनवाई में लगातार अनुपस्थित होने के कारण परिक्षण/प्रतिपरिक्षण करना संभव नहीं हो पाया। अतः स्पष्ट है कि आरोपी संतु कुमार राम तत्कालीन अंचल निरीक्षक, वादी एवं साक्षियों को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। अतएव पूर्व में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन को संपुष्ट किया जाता है एवं आरोपी श्री संतु कुमार राम तत्कालीन अंचल निरीक्षक रतनी फरीदपुर जहानाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त पर लगाये गये आरोप प्रमाणित होता है।

18. आरोप, संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वितीय कारण पृच्छा अभ्यावेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा वर्ष 2025 में क्रमशः दिनांक 16.04.2025, 17.04.2025, 28.04.2025, 14.05.2025, और 23.06.2025 को सुनवाई की तिथियां निर्धारित कर नोटिस भेजे गए, परंतु आरोपी पदाधिकारी, उपस्थापन पदाधिकारी और निगरानी के कर्मी लगातार अनुपस्थित रहे। निबिंधत डाक से भेजे गए नोटिस इस टिप्पणी के साथ वापस आए कि निगरानी के कर्मी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और आरोपी श्री राम अब बोकारो, झारखंड में रह रहे हैं।

विभागीय पत्रांक–1515 (15), दिनांक 19.08.2025 से निदेश किया गया कि यह मामला ट्रैप केस से जुड़ा है, अतः परिवादी (रामनुज शर्मा) और आरोपी को पत्र के साथ–साथ प्रेस विज्ञप्ति (Public Notice) के माध्यम से अन्तिम अवसर दिया जाए। विभागीय निदेश के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 752, 753, 754 दिनांक 09.03.2026 द्वारा दिनांक 10.03.2026 को तीन प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर, प्रभात खबर एवं दैनिक जागरण में सार्वजनिक सूचना/नोटिस प्रकाशित कराया गया। प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 18.03.2026 को सुनवाई की अन्तिम तिथि निर्धारित की गई, परंतु इस तिथि को भी आरोपी पदाधिकारी एवं अन्य सभी संबंधित पक्ष पूर्णतः अनुपस्थित रहे। प्राधिकार द्वारा प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सभी सिद्धांतों का अनुपालन करने तथा समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस जारी करने के बावजूद किसी भी पक्ष के उपस्थित न होने के कारण गवाहों का प्रत्यक्ष परीक्षण/प्रतिपरीक्षण करना संभव नहीं हो सका। आरोपी पदाधिकारी के लगातार अनुपस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी श्री संतु कुमार राम, वादी या निगरानी के साक्षियों को इस संबंध में अब अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। अतः तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, मुंगेर–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा पूर्व में कार्यालय पत्र संख्या–1136/10 दिनांक 31.05.2023 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन, जिसमें श्री संतु कुमार राम के विरुद्ध 1,000/– रूपये रिश्वत लेने का आरोप प्रमाणित पाया गया था, को वर्तमान संचालन पदाधिकारी द्वारा संपुष्ट (Confirm/Validate) किया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री संतु कुमार राम पर लगे आरोप को पूर्णतः प्रमाणित अंकित किया गया है। आरोपी पदाधिकारी को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 1,000/– रूपये की रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथों (Red-Handed) गिरफ्तार किया गया था। इनका रंगे हाथों पकड़ा जाना ही विभागीय छवि का गहरा आघात है। विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए साक्ष्य परीक्षण हेतु अनेकों अवसर दिए गए। निबंधित डाक की वापसी तथा तीन प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में सार्वजनिक विज्ञप्ति (Public Notice) निर्गत होने के बावजूद आरोपी पदाधिकारी द्वारा सुनवाई दिनांक–18.03.2026 में उपस्थित नहीं होने का अभिप्राय यह है कि आरोपी पदाधिकारी के पास अपने बचाव के पक्ष में कोई साक्ष्य अथवा तथ्य उपलब्ध नहीं है, साथ ही वरीय पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन और आनुशासिक निकाय के प्रति अनादर को दर्शाता है। चूंकि श्री संतु रिश्वत लेने लेने का गंभीर आरोप संचालन पदाधिकारी के अन्तिम अधिगम प्रतिवेदन दिनांक 20.03.2026 तथा पूर्व के जांच प्रतिवेदन के आलोक में पूर्णतः प्रमाणित हो चुका है, और आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिए गए अन्तिम अवसर का भी किसी प्रकार उपयोग नहीं किया गया है।

19. उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा रिश्वत के रूप में राशि प्राप्त करने तथा सरकारी सेवक का कदाचार/भ्रष्टाचार में लिप्त होने संबंधी मामले प्रमाणित पाये जाने संबंधी वृहद चूक के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139 के तहत शत–प्रतिशत पेंशन कटौती का दण्ड देने का निर्णय लिया गया।

20. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री संतु कुमार राम, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, रतनी फरीदपुर, जहानाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139के तहत **"शत प्रतिशत(100%) पेंशन स्थायी रूप से कटौती"** (Permanent Withholding of 100% Pension) का दण्ड अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(इनायत खान),
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–नि0को0/जहानाबाद (मुक0) 11–05/2016– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

निबंधित/ई–मेल

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/समाहर्त्ता, जहानाबाद/आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, ज़िला कोषागार, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(इनायत खान),
विशेष सचिव।

ज्ञापांक– नि0को0/जहानाबाद (मुक0) 11–05/2016– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

निबंधित/ई–मेल

प्रतिलिपि :– श्री संतु कुमार राम, अंचल अधिकारी, रतनी फरीदपुर, जहानाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त **पता– सेतु नगर, न्यू बाईपास रोड, अनिसाबाद, थाना–बेउर, जिला–पटना, पिन–802219, मोबाईल–9431436348** को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(इनायत खान),
विशेष सचिव।

ज्ञापांक– नि0को0/जहानाबाद (मुक0) 11–05/2016– 939 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक– 02/07/2026

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3,/आई0टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/6

(इनायत खान),
विशेष सचिव।